7390
27/12/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 104 /2013–14

श्री रामबहादुर सिंह बनाम शशि प्रसाद सिंह वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया। अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद में रामबहादुर सिंह पिता– स्व0 रामखेलावन सिंह ग्राम– किशनपुर बैकुण्ठ थाना– वारिसनगर जिला– समस्तीपुर वादी तथा (1) शशि प्रसाद सिंह पिता– स्व0 रामानन्द सिंह ग्राम– किशनपुर बैकुण्ठ थाना– वारिसनगर जिला– समस्तीपुर (2) शिवशंकर विश्वकर्मा पिता– महावीर विश्वकर्मा मोहल्ला– बेलायाकुब पो0– लालबाग दरभंगा थाना– सदर जिला– दरभंगा एवं (3) हरिश्चन्द्र यादव पिता– छोटे लाल यादव मोहल्ला– कबीरचक पोस्ट– लक्ष्मीसागर थाना– सदर जिला– दरभंगा प्रतिवादी सदस्यगण हैं। इस वाद में विवाद के अन्तर्गत मौजा– भैरोपट्टी पुराना थाना– सदर नया थाना– बहादुरपुर अंचल– बहादुरपर जिला– दरभंगा में स्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है जो आवेदक की पत्नी श्रीमति दाया देवी के नाम दिनांक 14.06.82 को रामलखन भगत से खरीदगी 03 कट्ठा भूमि का अंश है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
50	36	मिलजुमले नम्बर में दक्षिण से 02 कट्ठा 10 धुर	उत्तर– वादी
10	49		दक्षिण– विपक्षी शिवशंकर विश्वकर्मा
5	50		
42	51		पूरब– रास्ता
			पश्चिम– लेख्यकारी

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 03.05.2013 को दाखिल आवेदन में उल्लेख किया है गया कि प्रश्नगत खाता–खेसरा में मिलजुमले नम्बर से 03 कट्ठा भूमि मौजा भैरोपट्टी निवासी रामलखन भगत से दिनांक 14.06.1982 को इन्होनें अपनी पत्नी श्रीमति दाया देवी के नाम खरीद किया तथा दखल कब्जे में चले आये तथा सीमांकन कराते हुए अपनी

20/1/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	खरीद की गई भूमि के चारो तरफ किनारे पर पक्का पीलर भी दिया है जिसका दाखिल खारिज भी इनकी पत्नी के नाम होकर रसीद कटते चला आ रहा है। वादी का आरोप है कि दिनांक 12.04.2013 को प्रतिवादी इनके दखल कब्जेवाली भूमि के दक्षिण तरफ वाली मेढ़ को तोड़कर एवं पक्का पीलर को मिट्टी से ढ़ककर अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए प्रश्नगत भूमि मिट्टी से भरकर बलपूर्वक अतिक्रमण कर लिया है तथा वादी द्वारा दिनांक 22.04.2013 को ऐसा जुल्म करने वो मना करने पर प्रतिवादीगण अन्य भू–माफिया से मिलकर वादी को मारपीट करने एवं खून खराबी करने पर उतारू हो गये एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की बात को भी प्रतिवादी नहीं माने एवं प्रश्नगत भूमि को ईंट की चाहर दिवारी से घेर चुके है। आवेदक ने अपने वाद पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व एवं दखल कब्जा घोषित करने, प्रश्नगत भूमि पर पुनः दखल कब्जा दिलाने तथा प्रतिवादीगण को प्रश्नगत भूमि पर स्थायी रूप से जाने एवं किसी भी प्रकार का कार्य करने से अविलम्ब रोक लगाने का अनुरोध किया। आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0– 3355 से दिनांक 03.05.2013 को जमा कर प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य स्वरूप केवाला दिनांक 14.06.1982 रामलखन भगत बनाम श्रीमति दाया देवी, जमाबन्दी सं0– 2 अन्तर्गत 03 कट्ठा भूमि के निश्वत श्रीमति दाया देवी के नाम राजस्व रसीद वर्ष 2011–12 वो 14.06.1982 को रामनन्द झा अमीन के द्वारा सीमांकित मैप की छायाप्रति वाद पत्र के साथ संलग्न किया। आवेदक के वाद पत्र पर सुनते हुए दिनांक 03.05. 2013 को वाद प्रतिग्रहित किया गया तथा प्रतिवादियों को आवेदित तथ्यों के आलोक के उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.06.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सं0– 01 एवं 03 के नाम निर्गत निबंधित सूचना अभिलेख पर वापस प्राप्त हुआ जिसमें विपक्षी हरिश्चन्द्र यादव के संबंध में डाकिया द्वारा लिखा गया कि लेने से इन्कार किया वापस तथा शशि प्रसाद सिंह के संबंध में लिख गया कि यह आदमी कितने	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	दिनों से गाँव से बाहर चले गये हैं। तदुपरान्त विपक्षी हरिश्चन्द्र यादव को कार्रवाई में अभिरूचि नहीं लेने के कारण दिनांक 08.07.2013 को उनके विरूद्ध कार्रवाई एकपक्षीय की घोषणा की गई तथा विपक्षी सं0– 01 को पुनः दिनांक 08.06.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। तदुपरान्त शशि प्रसाद सिंह को विशेष दूत के माध्यम से भी दिनांक 26.07.2013 को भेजी गई जिसे शशि प्रसाद सिंह ने दिनांक 02.08.2013 को तामिल किया परन्तु इन्होनें कार्रवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं दावा प्रस्तुत नहीं किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में विपक्षी शिवशंकर विश्वकर्मा ने कार्रवाई में भाग लेकर आपति पत्र दाखिल किया है तथा आवेदक के वाद को पोषणीय नहीं होने का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन्होनें रामलखत भगत से दिनांक 14.02.1983 को खेसरा नं0– 50 एवं 51 की मिलजुमले 01 कट्ठा 08 धुर भूमि खरीदा है और दखल कब्जे में है तथा दाखिल खारिज कराकर रसीद प्राप्त करते हैं। इन्होनें खेसरा नं0– 50 एवं 51 की 01 कट्ठा 08 धुर भूमि पर अपना दखल कब्जा होने का दावा करते हुए कार्रवाई निरस्त करने का अनुरोध किया है परन्तु इन्होनें अपने कथन के समर्थन में कोई भी कागजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि खेसरा सं0– 50, 51, 36 एवं 49 का बहुत बड़ा रकवा है जिसमें कई टुकड़ा है जिसे बहुत सारे लोगों ने बयनामा कराया है। परन्तु विपक्षी द्वारा अभिलेख पर अपने कथित दावे के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से कथन विश्वसनीय प्रतित नहीं होता है। जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों से आवेदक का दावा सत्य एवं कथन विश्वसनीय प्रमाणित होता है। लेकिन आवेदक के द्वारा दाखिल धारा– 144 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत वाद सं0– 944/13 में विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर, दरभंगा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 से विदित होता है कि इस वाद में आवेदक की पत्नी के नाम वर्ष 1982 में 14.06.1982 को रामलखन भगत से खरीदगी दस्तावेजी भूमि का सरकारी अमीन से सीमांकन कराना आवश्यक है। अतः अंचलाधिकारी बहादुरपुर को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार आवेदक से अमानत शुल्क जमा कराकर	

3/20/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उनके पत्नी के नाम खरीदगी भूमि का नापी कराकर नक्शा के साथ प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। नापी प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित करें। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, बहादुरपुर को अनुपालनार्थ भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 3/10/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 3/10/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	